कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः–   /एम0सी0जे0–2024/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति   दिनाँकः 14 –जून–2024

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के शासकीय पत्र संख्या–148/71–1–24/71–1001/804/2020 लखनऊ दिनांक–14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक–14.06. 2024 के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत **डा0 दिनेश शुक्ला** की नियुक्ति/तैनाती न्यूरो सजरी विभाग में रिक्त आचार्य, ट्रामा के पद (एस0सी0) के सापेक्ष सह–आचार्य, न्यूरो सर्जरी के पद पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक–

1. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
2. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
3. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
5. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
7. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
8. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
9. एन0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम तथा बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय अथवा नियुक्ति के उपरान्त 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सेवाएं स्वतः समाप्त कर दी जायेंगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक का होगा।

4– उक्त चिकित्सा शिक्षक को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत मानदेय/वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्याः– १५६२ /एम0सी0जे0–2024/ई0सी0–1/संविदा–नियुक्ति तददिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
6. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
7. विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
8. प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
9. नोडल अधिकारी, ई–हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट/मानव संपदा पोर्टल, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
10. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।